

पुलिस विभाग जिला झालावाड

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

● अवैध हथियार सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

1. थानाधिकारी थाना भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - गोपाल पुत्र सूरजमल जाति माली निवासी खोती थाना भवानीमण्डी को बिना अनुज्ञापत्र के धारदार चाकू ले जाते हुये को जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 13/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● जुआ/सट्टा खेलतें 08 अभियुक्त गिरफ्तार 3800/-रु0 बरामद :-

1. थानाधिकारी थाना भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - मनोज कुमार पुत्र प्रकाश चन्द जाति मेहर निवासी अजुमन के सामने पचपहाड थाना भवानीमण्डी को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये मय सट्टा राशि 1140/- रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 12/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी थाना अकलेरा द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - 1. जितेन्द्र उर्फ गफ्फू पुत्र गजानन्द जाति छिपा निवासी छिपा मोहल्ला अकलेरा थाना अकलेरा 2. सुरेश कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति नाईक निवासी ढाणी मवासा थाना केथून जिला कोटा को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये मय सट्टा राशि 1320/- रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 14/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
3. थानाधिकारी थाना गंगधार द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - 1. गोरधन पुत्र रमेशचन्द जाति नायक निवासी नायक मोहल्ला गंगधार 2. ईश्वर पुत्र सजन लाल जाति नायक निवासी नायक मोहल्ला गंगधार को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये मय जुआ राशि 620/- रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 10/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
4. थानाधिकारी थाना गंगधार द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - 1. विनोद उर्फ जीवनलाल पुत्र मदनलाल जाति नायक निवासी गंगधार 2. गोपाल पुत्र बसन्ती लाल जाति नायक निवासी नायक मोहल्ला गंगधार थाना गंगधार को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये मय जुआ राशि 540/- रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 11/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
5. थानाधिकारी थाना कोतवाली द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - अशरत मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी मंगलपुरा महिला थाना के पीछे झालावाड को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये मय सट्टा राशि 180/- रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 26/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते हुए 01 वाहन चालक गिरफ्तार :-

1. थानाधिकारी थाना सुनेल द्वारा दिनांक 10.01.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त- कमलेश पुत्र पुरीलाल जाति खटीक निवासी पिडावा को सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में टेप बजाते हुए को पकडा। मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 03/18 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● गिरफ्तारी वारण्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

1. थाना पगारिया द्वारा दिनांक 10.01.2018 को केस न0 09/04 धारा 498, 406 भादस में अभियुक्त- गुमानलाल पुत्र नानुराम जाति मेघवाल निवासी धतुरिया कलां थाना पिडावा जिला झालावाड को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट में गिरफ्तार किया।

“—————”